न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 81 / 2018

प्रार्थीगण

1. श्री किरणलाल पुत्र श्री अजेतिंगजी जाति ब्राह्मण निवासी सेऊडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

विपक्षीगण

1. तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही।
2. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग शिवगंज जिला सिरोही।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 23 भूमि अर्जन अधिनियम 2013

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी ।
2. पेरोकार सरकार।

:: निर्णय ::

दिनांक : 27.12.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 23 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध खसरा संख्या 170 की सडक सीमा में ली जा रही भूमि का मुआवजा दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी की गांव सेऊडा पटवार हल्का ओडा में खसरा संख्या 313 व 170 की 49 बीघा 14 बिस्वा जमीन आई हुई थी, जिसमें से 02 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या एक के आदेश दिनांक 20.01.1978 के द्वारा दिनांक 04.05.1978 को अंकित रूप से नामान्तरकरण दर्ज कर बिना कोई मुआवजा अदा किए प्रार्थी की भूमि को बिलानाम सडक दर्ज किया गया। यह है कि प्रार्थी को नोटिस देकर भूमि का, भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत कार्यवाही कर अर्जन करना चाहिए था, जो नहीं कर बिना कोई मुआवजा अदा किए प्रार्थी की 02 बीघा भूमि को सडक में दर्ज किया गया है। यह है कि वर्तमान में प्रार्थी की शेष बची खसरा संख्या 170 की भूमि में से पुनः सडक निकालने की कार्यवाही की जा रही है, जिस हेतु सडक निर्माण का कार्य अप्रार्थी संख्या दो द्वारा चालू किया गया है। यह है कि प्रार्थी को पूर्व में भी कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं न ही कोई भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई एवं वर्तमान में भी कोई नोटिस दिए बिना ही प्रार्थी की भूमि का अर्जन करना गलत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खसरा संख्या 170 की 02 बी[illegible]ई व वर्तमान में ली जाने वाली भूमि का मुआवजा वर्तमान डी.एल.सी. द[illegible]गुना के अनुसार अदा करने के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन कि[illegible] कि प्रार्थी के नाम मौजा सेऊडा के खसरा नम्बर 313 व [illegible] रकबा क्रमशः 15.07 बी[illegible]2.07 बीघा कुल 47.14 बीघा दर्ज है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया कि वर्तमान में सडक जावाल कैलाशनगर–हरजी 00 किमी. से 20 किमी. तक चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा जरिए स्वीकृति क्रमांक डी–419 दिनांक 30.08.2018 के द्वारा राशि रूपए 15.00 करोड की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रार्थी का उक्त कथन पूर्णतया गलत है कि प्रार्थी के खसरा संख्या 170 की भूमि चौडाईकरण में आ रही है। यह है कि उक्त सडक का निर्माण बिना भूमि अवाप्त किए सडक निर्माण हेतु पूर्व में निर्मित सडक के लगते हुए भूमि उपलब्ध है। उक्त अविवादित भूमि पर खातेदारी की भूमि को छोडते हुए निर्माण किया जाना है। अतः जब भूमि अवाप्त ही नहीं की जा रही है तो भूमि अवाप्ति का ब्यौरा दिए जाने का कथन सर्वथा गलत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

मैने दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो, मै इस निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम मौजा सेऊडा पटवार हल्का ओडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खसरा नम्बर 313 व 170 रकबा क्रमशः 15.07 बीघा व 32.07 बीघा कुल 47.14 बीघा दर्ज है। प्रार्थी अधिवकत का कथन है कि प्रार्थी की उक्त भूमि में से 02 बीघा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा गलत रूप से बिलानाम सडक दर्ज की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांक 930 दिनांक 20.01.1978 द्वारा उक्त भूमि सडक के नीचे आने से पटवार हल्का ओडा के रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि सडक सीमा के आने से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, न कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान में प्रार्थी के खसरा संख्या 170 की भूमि में से पुनः सडक निकालने की कार्यवाही की जा रही है, जिस हेतु सडक निर्माण का कार्य अप्रार्थी संख्या दो द्वारा चालू किया गया है एवं प्रार्थी को पूर्व में भी कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं न ही कोई भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में अप्रार्थी संख्या दो ने कथन किया है कि उक्त सडक का निर्माण बिना भूमि अवाप्त किए सडक निर्माण हेतु पूर्व में निर्मित सडक के लगते हुए भूमि उपलब्ध है। उक्त अविवादित भूमि पर खातेदारी की भूमि को छोडते हुए निर्माण किया जाना है। यह है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्राथी की कितनी भूमि को अवाप्त किया जा रहा है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भूमि अवाप्त किए जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा बिना भूमि अवाप्त किए सडक निर्माण किया जा रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner